न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्र0क0 2052–दो/2014 विरूध्द आदेश दिनांक 27–6–2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 प्र0 क0 24/अपील/2013–14.

कैलाशचन्द्र जैन तनय मदनलाल जैन
निवासी पुराना पावर हाउस चौक सतना,
तहसील रजुराजनगर जिला सतना म0प्र0

—— आवेदक

विरूध्द

1. महेश जैन तनय स्व0 मदनलाल जैन
   निवासी पुराना पावर हाउस चौक सतना
   तहसील रजुराजनगर जिला सतना म0प्र0
2. राजेश जैन तनय स्व मदनलाल जैन
   निवासी पुराना पावर हाउस चौक सतना
   तहसील रजुराजनगर जिला सतना म0प्र0
3. बनवारीलाल मीणा तनय स्व रामनारायण मीणा
   निवासी मुख्त्यारगंज सतना तह0 रजुराजनगर
   जिला सतना म0प्र0
4. म0प्र0 शासन द्वारा पटवारी हल्का कोलगवां
   जिला सतना म0प्र0

—— अनावेदकगण

– – –

श्री ए0के0अग्रवाल, अभिभाषक– आवेदक
श्री एस0के0 श्रीवास्तव एवं श्री रमेश पाठक, अभिभाषक–अनावेदक कं 1 एवं 2
श्री एच0के0 अग्रवाल, पैनल अभिभाषक–अनावेदक कं 4

– – –

आदेश

(आज दिनांक 13 –11–2014 को पारित)

– – –

यह निगरानी आवेदक व्दारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 प्र0 क0 24/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 27–6–2014 से अन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 ने मौजा कोलगवां जिला सतना के आराजी कमांक 77/1 एवं 101/1 कुल रकवा 0.50 ए0 भूमि से संबंधित तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 47/अ–6/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 20–4–12 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। आवेदक द्वारा दिनांक 23–6–2014 को आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 का आवेदन अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 27–6–2014 के द्वारा आवेदक कैलाशचन्द्र जैन का पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 सगे भाई हैं और मदनलाल जैन का वसीयत ग्रहीता है। इस आधार पर आवेदक का विवादित भूमि में हित निहित है, परन्तु अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक को पक्षकार नहीं बनाया गया। उनका यह भी तर्क है कि विधि का स्थापित सिद्धांत है कि प्रकरण के सभी पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देना चाहिए और सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ही न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जाना चाहिए, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर कोई ध्यान न देने में कानूनी भूल की है। अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–6–14 निरस्त किया जाकर आवेदक को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनाये जाने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक कं 1 एवं 2 के अभिभाषक द्वारा मौखिक रूप से तर्क किया कि उन्हें आवेदक को प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अनावेदक अभिभाषक यह भी तर्क है कि उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के

समक्ष आवेदक को पक्षकार बनाये जाने बावत आवेदन प्रस्तुत कर दिया है, परन्तु आधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड इस न्यायालय में तलब हो गया है, अतः आवेदन इस प्रकरण में संलग्न नहीं हो पाया।

5/ उभय पक्षों के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों सुने तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अनावेदक अभिभाषक द्वारा इस न्यायालय में तर्क के समय स्वयं यह स्वीकार किया है कि उन्हें आवेदक को प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रकरण इस निर्देश के साथ निराकृत किया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी आवेदक को पक्षकार बनाये जाने के उपरांत उभय पक्षों को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर देकर प्रकरण का गुण—दोष पर निराकरण करें। उपरोक्त निर्देश के साथ प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, म0प्र0,
ग्वालियर